भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1230

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: तंजावुर में पीएम-किसान

1230. श्री मुरसोली एस.:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तंजावुर जिले में वर्ष 2019 से प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) तंजावुर जिले में उक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों को संवितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की किसानों को वितरित की जाने वाली राशि में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत, देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देशभर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ वितरण किया है।

वर्ष 2019 में योजना के आरम्भ के बाद से, तंजावुर जिले के कुल 1,27,796 लाभार्थियों को पीएम-किसान के तहत लाभान्वित किया गया है और उन्हें कुल 340.86 करोड़ रुपये रिलीज़ किए गए हैं।

(ग) एवं (घ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****